न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 87/2020 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र स्व.श्री शेरसिंह यादव,निवासी 34 अल्कापुरी ए मुरलीपुरा जयपुर, प्रभारी अधिकारी संस्थापन/राजस्व/
भू.अ./डीएम कोर्ट/एडीएम कोर्ट अनुभाग

GCMS No-2020/00182

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी संस्थापन/राजस्व/भू.अ./डीएम कोर्ट/एडीएम कोर्ट अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 05.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(226) सूकाअ/2020/3316 दिनांक 13.11.2020 द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी संस्थापन/राजस्व/भू.अ./डीएम/एडीएम कोर्ट अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. यह है कि उप निबंधक(जॉच) राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर के जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित कार्यालय पत्रांक प.11/शिकायत/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/2060 एवं समसंख्यक पत्रांक 1443—44 दिनांक 15.6.2020 एवं 2422 दिनांक 7.10.2020 एवं 9.7.2020 शिकायत विरूद्व तहसीलदार खण्डार श्री देवी सिंह एवं राजस्व मण्डल के पत्रांक राम/भू.अ./भू.सु./शिकायत/प.29/2020/2698—99 दिनांक 12.5.2020 के क्रम में नियुक्त जॉच अधिकारी नियुक्ति का पत्र जॉच रिपोर्ट मय बयानात, दस्तावेज व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति मय उक्त पत्रांक राजस्व मण्डल की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/प्रा.पत्र रैफ./2020/2513—2514 दिनांक 28.9.2020 एवं समसंख्यक/20/2008 दिनांक 20.8.2020 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा लिये गये निर्णय एवं नोट सीट एवं अन्य जारी पत्र राजस्व मण्डल/तहसीलदार खण्डार को प्रेषित मय तहसीलदार खण्डार से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रमाणित प्रति मय रिकार्ड एवं पत्राचार की प्रमाणित प्रति।
3. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक रीडर/सर्तकता/2010/710 दिनांक 1.10.2010 मय परिवाद द्वारा श्रीमति अनिता यादव मय सतर्कता शाखा मे जावक रजिस्टर एवं जिला कलेक्टर से प्राप्त पत्र मय उक्त पत्रांक 710 दिनांक 1.10.2010 की पालना में दिनांक 26.10.2010 को पटवारी दौलतपुरा रामजीलाल मीना व रामावतार गुप्ता पटवारी अल्लापुर द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट मय जमाबन्दी खाता संख्या 2,3,4,13,117 एवं 223 ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार विक्रमी सम्वत् 2066—69 एवं तत्समय औनाड़ सिंह मय नीलम कवंर व विमला कवंर के नाम दर्ज सम्वत् खसरा व खाता की जमाबन्दी वि0स0 2066—69 मय मौका रिपोर्ट एवं पत्र पटवारी रामजीलाल दिनांक 27.10.2010 जो तहसीलदार खण्डार को प्रेषित है मय क्षेत्रफल व औनाड सिंह द्वारा मोतबिरान की साक्षी मय समस्त संलग्नक एवं दिनांक 27.10.2010 की मौका रिपोर्ट प्राप्ति बाबत अजीत सिंह पुत्र औनाड सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र बाबत नकल की प्रमाणित प्रति।
4. यह है कि श्रीमति राजरानी यादव द्वारा प्रेषित आरटीआई का मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2019 की प्रमाणित प्रति जो एसपीआईओ/एडीएम सवाईमाधोपुर को प्रेषित शुद्वा है तथा इस प्रा0पत्र के संबंध में तहसीलदार खण्डार का पत्रांक एलआर/19/407 दिनांक 19.7.2019 की प्र0प्रति तथा एलआर/18/45 दिनांक 12.1.2018 एवं एलआर/20/45 दिनांक 31.1.2020 की प्रमाणित प्रति।
5. यह है कि दिनांक 18.10.2007 को शेर सिंह ने कंचन देवी गुर्जर को तथा कंचन देवी गुर्जर ने श्रीमति शशिबाला/आजाद सिंह जाट को दिनांक 9.7.2008 को ख0न0 543/1 व 543/2 व अन्य की रजिस्ट्री की प्र0 प्रति मय चैक लिस्ट मय रिकार्ड की प्र0प्रति।
6. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक [illegible]/644 दिनांक 4.12.2017 अजीत सिंह पुत्र औनाड सिंह आपत्तिकर्ता की प्रति त[illegible] आपत्तिकर्ता पत्रावली संख्या 17/2017 में दिनांक 14.12.17 मय सं[illegible] 13.6.17 में दिनांक 14.12.2017 मय संलग्नक रिपोर्ट त[illegible] 13.6.2017 पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.10.16 एवं विक्रय पत्रों की प्र0प्रति तथा इसी [illegible] में श्रीमति राजरानी [illegible]को जारी नोटिस एलआर/17/647 दिनांक 14.12.2017 मय संलग्नक की प्र0प्रति तथा [illegible]/17/648—49 दिनांक 14.12.17 की प्र0प्रति मय निर्णय तहसीलदार खण्डार दिनांक 1.12.2018 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.16 एवं पत्रांक एलआर/19/5634 दिनांक 18.12.2019 की प्रमाणित प्रति मय आवक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक पत्रांक 5634 दिनांक 18.12.2019की प्रति
7. (1) यह है कि जिला कलेक्टर के कार्यालय पत्रांक डीआईएलआरएमपी/मेप/2018 /9424

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

एवं दिनांक 27.12.2019 एवं राजस्व/विविध/प.12/6349 दिनांक 30.11.17 एवं 5870 दिनांक 10.11.2016 की प्रमाणित प्रति।

(2)जॉच रिपोर्ट विरूद्व सरपंच रामचरण उर्फ मोटा पुत्र लडडू गुर्जर बाबत द्वारा उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार बाबत निर्वाचक आवेदन पत्र सरपंच में प्रस्तुत तथ्यों व मुकदमों की जानकारी दिलवाये जाने बाबत ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी संस्थापन/राजस्व/भू.अ./डीएम कोर्ट/एडीएम कोर्ट अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधिकारी संस्थापन/राजस्व/भू.अ./डीएम कोर्ट/एडीएम कोर्ट अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/21/41 दिनांक 04.01.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 3,4,6,7(II) की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा राशि जमा करवाने के उपरान्त जरिये पत्रांक एल.आर. /20/773 दिनांक 24.12.2020 एवं पत्रांक रीडर/1232 दिनांक 30.12.2020 से अपीलान्ट को रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना के लिए आवेदक को जरिये पत्रांक पंजीयन/2020/472 दिनांक 1.12.2020 से 460/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया था किन्तु आवेदक द्वारा राशि जमा नही करवायी जाने के कारण बिन्दु संख्या 5 की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.5(16)1/विविध/सू.का.अ. /स्था./2020/6869 दिनांक 17.12.2020 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना हेतु आवेदक को 98/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा राशि जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक कोर्ट/सू.का.अ./2020/3091 दिनांक 27.11.2020 से 20/–रू जमा करवाने बाबत लिखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा राशि जमा करवाने के उपरान्त प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक प्रतिलिपि/2020/416 दिनांक 22.12.2020 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक राजस्व/2020/6510 दिनांक 11.01.2021 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना कुल 35 पृष्ठों की होने के कारण 70/–रू शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/सूकाअ/20/ 5762 दिनांक 26.11.2020 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। प्रभारी अधिकारी भू. अभिलेख के जवाब नोटिस क्रमांक 439 दिनांक 12.01.2021 से अवगत कराया कि अपीलान्ट को चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक प. 14/7/3/सूकाअ/भू.अ./रि./2020/251 दिनांक 08.01.2021 से भिजवायी जा चुकी है। एडीएम कोर्ट की कोई सूचना अपेक्षित नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 05.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6,7(i),(ii) की सूचना तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी कोर्ट/भू.अ. अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 5 पर पंजीयन रिकार्ड से संबंधित चाही गयी सूचना के [illegible] खण्डार के कार्यालय में जमा नही करवाये गये है तथा प्रभारी अधि. संस्थापन अनुभा[illegible]त बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए 98/–रू तथा प्रभारी अधिकारी [illegible] 7(i) की सूचना के लिए 70/–रू जमा नही करवाये है इसलि[illegible] अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वांछित शुल्क 460/–रू एवं 98/–रू एवं 70/–रू संबंधित कार्यालय मे जमा कर[illegible]र सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर